अपील सूचना अधिकार संख्या 23/2020 (GCMS 2020/00038) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.02.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 23.12.2019 से चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो लोकसूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए लोक सूचना अधिकारी पर 25000/- शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना दिलाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 23.12.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

> जिला राजकीय चिकित्सालय, श्रीगंगानगर में मेल नर्स श्री राजेश गोयल पुत्र श्री रामकुमार गोयल, 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर से सम्बन्धित सूचना :
>
> 1. दिनांक 11.04.2000 को जिस समय से जिस अवधि तक हस्पताल में जिस कार्य का निष्पादन जिस उच्च अधिकारी नर्सिगं इन्चार्ज के सुपरवीजन में कार्य किया, उस अवधि कार्य व नर्सिगं इन्चार्ज का नाम की सूचना व समस्त तथ्यो की प्रमाणित प्रति।
> 2. श्री राजेश गोयल द्वारा किये गये कार्य के दिनांक 11.04.2000 की विभागीय आदेश की प्रति।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3. मेल नर्सिंग सुपरिटेन्डन्ट का श्री राजेश गोयल के कार्य निष्पादन दिनांक 11.04.2000 का सत्यापन उनके हस्ताक्षर सहित की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. मेल नर्सिगं के हस्पताल में कार्य करने के कुल समय की सूचना प्रत्येक दिन की 11.04.2000 की।

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एसडीएम/गंगा/पीए/2019/324 दिनांक 07.01.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

सूचना के अधिकार 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, श्रीगंगानगर से चाही गई सूचना जिसके लिए अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आवेदन किया गया था, की सूचना पत्र के सलंग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : सूचना

-sd-
(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2019 की सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, श्रीगगंगानगर से प्राप्त कर दिनांक 07.01.2020 को उक्तानुसार अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अपीलार्थी की सूचनाओं को सम्बन्ध प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, श्रीगंगानगर के कार्यालय से

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, श्रीगंगानगर के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता नियुक्त नहीं है। इसलिए उनकी अपील यहां से खारिज की जाती है। अपीलार्थी यदि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं से अप्रसन्न है तो वे उनके सक्षम अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करने के स्वतन्त्र है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर